येन
२६४/१७/ ग्राम प्राथना इकबाल हैदरी बनाम मौहम्मद सईद वगै.

तारीख पेशी	बनाम 2017/00264 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ......हेमराज गुप्ता........श्री ......अशोक गुप्ता 1179	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
01.11.17	इकबाल हैदरी बनाम मौहम्मद सईद वगेरह बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 7से 9 (केवियटकर्ता) उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 18.10.2017 को नियत थी बरवक्त न्यायालय हाजा द्वारा आवाजें दिलाये जाने पर प्रार्थी अभिभाषक अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नही हो सकें जिससे अपील को दिनांक 18.10.2017 को अदम हाजरी एवम् अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गयी। प्रार्थी के द्वारा नियुक्त अधिवक्ता ने प्रार्थी को यह आश्वासन दे रखा था कि उसे पेशी पर आने की कोई आवश्यकता नही हैं जब उसकी आवश्यकता होगी तो उसे बुला लिया जायेगा इस कारण प्रार्थी स्वंय भी पेशी पर उपस्थित नही हो सका। प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जानबूझ कर कोई लापरवाही नही की गयी हैं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जो त्रुटि कारित हुई है वह एक सद्वाकि त्रुटि होने से क्षमा किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत हैं। न्यायहित में अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर, अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जावें। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर, अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अप्रार्थी 07 से 9 ने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि उक्त अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक से इसलिए स्थानान्तरण करवायी गयी कि वहाँ अपीलांट ने न्यायालय समक्ष रेस्पोडेन्टस कें नोटिस पेश नही किये थे और प्रकरण अनावश्यक विलम्ब का हैं। अपील न्यायालय हाजा के समक्ष मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है, जिसके विरूद्ध हमने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा जिसमें सुनवाई नही की जा रही हैं। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में सुनवाई किये जाने हेतु दिनांक 18.10.2017 पेशी नियत की गयी थी उस दिन भी अपीलांट एवं उनके अभिभाषक न्यायालय हाजा में उपस्थित नही हुए, इसलिए न्यायालय हाजा ने अपील को विधि संगत अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की हैं इसलिए प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर, अपील का निर्णय गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते हैं। अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 18.10.2017 को निरस्त किया जाता हैं एवम् अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	